14.6.18 प्रार्थी / राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 के तहत मुकाम नान्दशा प्रस्तुत हुई। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा नान्दशा (के) तह. सहाड़ा में आराजी नं. 766/0.40 777/0.18 779/0.44 1111/1.29 1112/0.96 1116/0.44 1595/0.22 1867/0.38 3025/0.05 3026/0.03 3027/0.05 4476/0.22 कुल किता 12 रकबा 4.66 हैक्ट. भूमि जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 में दर्ज रेकार्ड है। उपरोक्त वर्णित आराजियात प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। [illegible] वर्णित कृषि आराजियात जो कि अविभाजित है प्रतिपक्षीगण विपक्षी संख्या 1 व 2 किसी अनु. जाति के व्यक्ति को विक्रय करने पर आमादा हो रहे हैं। प्रार्थी ने इस बाबत पर विपक्षीगण व अन्य के विरुद्ध अदालत में धारा 53 व धारा 188 R.T.A के अन्तर्गत अदालत में प्रस्तुत कर दिया है जो जेर कार्यवाही है। प्रार्थी ने रिलीफ चाही है कि प्रार्थी का प्रा० पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 के विरुद्ध इस आशय की आज्ञप्ति

निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि विपक्षी संख्या 1 व 2 प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि आराजियात को अथवा उनके हिस्से को किसी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करे व विपक्षी सं 3 किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर पंजीयन नहीं करे। मौके तथा राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति कायम रखी जाने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें।

प्रकरण इस न्यायालय में दिनांक 30.6.17 को पंजिबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण 1 लगायत 2 अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। विपक्षी सं 3 पैरोकार सरकार उपस्थित। औपचारिक पक्षकार होने से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रा० पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रा० पत्र में चाही गई रिलीफ के अनुसार प्रा० पत्र स्वीकार करने बाबत निवेदन किया।

मैंने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर गंभीरता से मनन किया।

प्रार्थी ने मौजा नान्दरा (के) तहसील सहाड़ा के खाता संख्या 831 जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 में अंकित आराजी किता 4 कार रकबा 4.66 है. भूमि प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम संयुक्त रूप से दर्ज होना अंकित किया है जिसमें आ० नं $\frac{1111}{1.29}$ है. व $\frac{1112}{0.96}$ है. भूमि

Contd

प्रार्थी ने प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.A * का प्रस्तुत किया उसमें अंकित किया गया है परन्तु जमाबन्दी सं. 2070 से 2073 में आ० नं. $\frac{1011}{1.29}$ है. व $\frac{1012}{0.96}$ है. अंकित किये हुए है। इस प्रकार प्रार्थी ने प्रा० पत्र में आराजी नं. $\frac{1011}{1.29}$ है. व $\frac{1012}{0.96}$ है. के बजाय $\frac{1111}{1.29}$ व $\frac{1112}{0.96}$ की रिलीफ चाही जो की प्रार्थी के खाते में ही दर्ज नहीं है न ही प्रार्थी ने खसरा नं. को प्रा० पत्र में संशोधन करने का प्रा० पत्र ही प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त वाद ग्रस्त आराजियात प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम संयुक्त रूप से दर्ज रिकार्ड है अतः रिकार्ड खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना यह न्यायालय उचित नहीं समझता है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रा० पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाने योग्य पाया जाता है।

## आदेश

प्रार्थी का प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.A का प्रस्तुत किया जिसके साथ नक्शा के खेत नं. 831 में अंकित आराजी नं. $\frac{1011}{1.29}$ व $\frac{1012}{0.96}$ अन्य आराजियात के साथ जमाबन्दी सं. 2070 से 2073 में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम संयुक्त रूप से दर्ज रिकार्ड है जबकि प्रार्थी ने आ० नं. $\frac{1111}{1.29}$ व $\frac{1112*}{0.96}$ अन्य आराजियात के साथ प्रा० पत्र में रिलीफ चाही है जो प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज ही नहीं है। विपक्षी संख्या 1 व 2 रिकार्ड खातेदार होने से अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में जारी नहीं की जा सकती है। अतः प्रार्थी का प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.A का खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तामील रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)